[TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, DATED THE 15th DECEMBER, 1999]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE (CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 15th December, 1999

Notification INCOME-TAX

- S.O. (E).- In exercise of powers conferred by section 295, read with clause (iii) of sub-section (2) of section 72A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (33rd Amendment) Rules, 1999.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 9B, the following shall be inserted, namely:-
- ' Conditions for carrying forward or set-off of accumulated loss and unabsorbed depreciation allowance in case of amalgamation.
- 9C. The conditions referred to in clause (iii) of sub-section (2) of section 72A shall be the following, namely:-
- (a) the amalgamated company, owning an industrial undertaking of the amalgamating company by way of amalgamation, shall achieve the level of production of at least fifty per cent. of the installed capacity of the said undertaking before the end of four years from the date of amalgamation and continue to maintain the said minimum level of production till the end of five years from the date of amalgamation:

Provided that the Central Government, on an application made by the amalgamated company, may relax the condition of achieving the level of production or the period during which the same is to be achieved or both in suitable cases having regard to the genuine efforts made by the amalgamated company to attain the prescribed level of production and the circumstances preventing such efforts from achieving the same:

(b) the amalgamated company shall furnish	to the Assessing Officer a comition
Form No.62, duly verified by an accountant,	with reference to the L
and other documents showing particulars	of production of productions
income for the assessment year relevant	or production, along with the return of
income for the assessment year relevant	to the previous year during which the
prescribed level of production is achieved	and for subsequent assessment years
relevant to the previous years falling within five	ve years from the date of amalgamation.
Explanation For the purposes of this rule	
(a) 'installed capacity' means the capacity	of production existing on the date of
arraigamation; and	
(b) "accountant" means the accountant as	defined in the Explanation below.
section (2) of section 288 of the Income-tax A	ct. 1961'
3. In Appendix II to the Income-tax Rules,	1962 after EORM N. C.
FORM shall be inserted, namely:-	in the following
"FORM NO	2 (2
[See rule 9	- <u> </u>
Certificate from the principal officer of duly verified by an accountant regarding level of production and continuance	f the amalgamated company and
level of production and continuance subsequent years.	of such level of production in
	Froduction III
1. Particulars of the amalgamated company:	A
(a) Name: (b) Address:	E E E
(c) Permanent account number	
(d) Nature and details of business:	
2. Details of the amalgamating company (ies):	The Control of the Co
(rease actach separate sheets, if necessary)	;
(a) Name: (b) Address:	
(c) Permanent account number	4
(a) Nature and details of business:	
on the date of amalgamation:	
3. Date of amalgamation :	
4. Date and period during which 50% of the	<u> </u>
installed capacity of production is achieved :	

years from the date o	ped level of production Jent years: (till the er of amalgamation)	on has be nd of five	een e
Place Date		, (Sig office	nature with name of the principaler of the Amalgamated Company)
	. V erif	ication	
I/We	have examined	- - -	pooks of accounts and other
documents showing the p to in above items 1 and 2	articulars of product for the relevant perio		he company/companies referred
I/We have obtained all my/our knowledge and be attainment/continuance of	ll the information and elief necessary for t prescribed level of p	d explan he purp roductio	nations which are to the best of coses of ascertaining the actual on.
I/We declare that the a knowledge and belief.	bove particulars are	true and	I correct to the best of my/our
		- -	
Place: Date:			(Signature with name of the ² Accountant)
			of the ² Accountant)
NOTES: I. Delete whichever is not a	accountant as defined	in the (of the ² Accountant)
NOTES: 1. Delete whichever is not a 2. "Accountant" means the a (2) of section 288 of the Inc.	accountant as defined	in the (of the ² Accountant)

Foot note: The principal rules were published vide notification number \$.0.No.969(E) dated the 26.3.1962 and were last amended by the Income-tax (32nd Amendment) Rules, 1999, vide notification \$.0.No.1151(E), dated the 19.11.1999.

(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2. खंड 3. उपखंड (ii) तारीख.15:12:99में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार वित्तं मंत्रालय राजस्वऽविभाग ेेें (कंन्द्रीय प्रत्यक्षं कर बोर्ड)

नई दिल्ली, तारीख**15 दिं**सम्बर 1999

अधिसूचना

का.आ. (अ) - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 72क की उपधारा (2) के खंड (iii) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर(334ा संशोधन) नियम 1999 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारी के को प्रवृत्त होंगे ।
- आयकर नियम, 1962 में नियम 9ख के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-'समामेलन की दशा में संचित हानि का अग्रनयन या मुजरा करने और अनामेलित अवक्षयण मोक के लिए शतैं।
 धारा 72क की उपधारा (2) के खंड (iii) में निर्दिष्ट शर्ते निम्नलिखित होंगी, अर्थात :-
- (क) ऐसी समामंतित कंपनी जो समामंतन के द्वारा किसी समामंतक कंपनी के औद्योगिक उपक्रम की स्वामीहै समामंति की तारीख से चार वर्षों की समामंति से पूर्व उक्त उपक्रम की संस्थापित क्षमता का कमा के प्रचास प्रतिशत का स्तर प्राप्त करंगी और समामंतिन की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति तक उत्पादन के उक्त न्यूनतम स्तर को बनाए रखेगी :

परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार समामेलित कंपनी द्वारा क्रिए गए आवेदन पर उत्पादन के स्तर को प्राप्त करने की शर्त या उस अवधि को जिसके दौरान वह प्राप्त किया जाना है या उत्पादन के विहित स्तर को प्राप्त करने में कंपनी द्वारा वास्तविक प्रयासो और उसे प्राप्त करने के ऐसे प्रयासों को बाधित करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त मामलों में दोनों को शिथिल कर सकेगी ;

(ख) समामेलित कंपनी उस पूर्व वर्ष जिसके दौरान उत्पादन की विहित स्तर प्राप्त किया जाता है की सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए और समामेलन की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आने वाले पूर्व वर्षों की सुसंगत पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए आय की विवरणी के साथ लेखा बहियों और उत्पादन की विशिष्टियां दर्शानेवाले अन्य दस्तावेजों के प्रतिनिर्देश से लंखापाल द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित प्ररूप से 62 में एक प्रमाण पत्र निर्धारण अधिकारी की भेजेगी।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए.-

- (क) 'संस्थापित क्षमता' से समामेलन की तारीख को विद्यमान उत्पादन की क्षमता अभिप्रेत् है ; और
- (ख) 'लेखापाल' से ऐसा लेखापाल अभिप्रेत हैं जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में प्रिशाषित है। '
- 3. आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में प्ररूप सं.61 क्हूं पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

" प्ररूप सं.62

[नियम 9ग देखिए]

उत्पादन के विहित स्तर की उपलब्धि और पश्चातवर्ती वर्षों में उत्पादन के ऐसे स्तर के जारी रहने के वारे में समामेलित कंपनी के प्रधान अधिकारी द्वारा दिया गया और ²लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से सत्यार्षित प्रमाण पत्र ।

1. समामेलित कंपनी की विशिष्टियां :		
(क) नाम:		
(ख) पता:		
(ग) स्थायी लेखा संख्या:	************************	
(घ) कारबार की प्रकृति और राक्ष ेत्र	***************************************	
2. समामेलित कंपनी (कंपनियों) के ब्यौर		
(यदि आवश्यक हो कृपया पृथक सीट संलग् (क) नामः		
(क) नाम:	न करें)	
(ख) प्रुताः	*************************	
्(ग) ग्रेंगयी लेखा संख्या:	***************************************	
(घ) कारबार की प्रकृति और बाँरे:	*************************	
(ड) समामेलन की तारीख को उत्पादन		
की संस्थापित क्षमता:	Ý	
3. समामेलन की _{लाजिक} .	***********************	
4. तारीख और अवधि जिसके दौरान उत्पादन	***************************************	
की संस्थापित क्षमता का 50% प्राप्त कियाँ जाता है।		
-11/11 O1	<u>[</u>	
5. क्या पश्चातवर्ती वर्षों में उत्पादन का		
विहित स्तर बनाए रखा गरा है (कार्य)	•	
की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति तक)		
	(auto	
स्थान	(सम्।	मेलित कंपनी के प्रधान अधिकारी
तारीख	A Marijan	का नाम सहित हस्ताक्षर)
		*
मैंने/हमने	सत्यापन् '	
लेखा बहियों और उत्पादन की विशिष्टियां दर्शाने वा	ए उपरोक्त मद् 1 और मद 2	में निर्दिष्टू कंपनी/कंपनियों की
ह भग भग भग समित्र	लि अन्य दस्तावेजी की जांच क	ा । १९८% कंपनी/कंपनियों की एं ली है ।
2. मैंने/हमने रोकी कारी		1.00
2. मैंने/हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण अनुसार उँत्पौद्ध के विहित स्तर की वास्तविक प्राप्टि है ।	प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे/हमारे	सर्वोत्तम बान और रिक्
g 1	1/ जारा रहने के अभिनिंश्चयन	के प्रयोजनों के लिए अपन
3. मैं/हम स्रोकाण		क रित्र आवश्यक
3. मैं/हम घोषणा करता हू/करते हैं कि उपरोक्त सही और ठीक है ।	विशिष्टिम भंभार	: : : .
and out of the E. I.	प्रकार सर्वात्तम् इ	ज्ञान और विश्वास के अनुसार
\$ 'A'		
		. 3 .
स्थान		(²लेखापाल का नाम
स्थान तारीख		(² लेखापाल का नाम सहित हस्ताक्षर)

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणातव मायापुरी, बई दिल्ली

टिप्पण:

1.जो लागू न हो उसे काट दें।

2. " लेखापाल" से ऐसा लेखापाल अभिप्रेत है जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपर्धारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित है ।

र्यंदि आवश्यक हो, तो पृथक सीट संलग्न करें 🖺

फा. सं. 142<u>/</u>23/99-टा.पा.एल (डी. करूणाकर राव)

अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं \\\ 6 व्य अंदर सचिव, भारत सरकार पाद टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना सं**का आधीराख के दूर**द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं**का आ**राउ। (आ) तारीख[१९] द्वारा आयकर नियम (३२०) 1990 द्वारा अतिम संशोधन किया गया ।